



### संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 923/अकादमिक/अ.म./वनस्पतिशास्त्र/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18.10.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में विज्ञान संकायांतर्गत वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संवीक्षाधीन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.(2)(एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :  
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री अरविन्द तिवारी  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय,  
डिगमा, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.)

(2) डॉ. प्रशांत कुमार सिंह  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय,  
जशपुर नगर जिला- जशपुर (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य  
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्रीमती निशी एक्का  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय महाविद्यालय,  
दुलदुला जिला- जशपुर (छ.ग.)

(2) श्री नन्द किशोर सिंह  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय नवीन महाविद्यालय,  
बलरामपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) श्री तुलसीराम राहंगडाले  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय,  
सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

(2) डॉ. बरखा सिंह  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग  
पं. ज्वाला प्रसाद उपाध्याय महाविद्यालय,  
पटना जिला-कोरिया (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।


(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा डॉ. प्रशांत कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वनस्पतिशास्त्र विभाग, शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर नगर जिला - जशपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)  
अम्बिकापुर, दिनांक 14/05/2020

पृ. क्रमांक: 371 / अकादमिक / अ.म. / 2020  
प्रतिलिपि -

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8. कार्यालयीन नस्ती।

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)



## अधिसूचना

उत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अंतर्गत संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में समाज विज्ञान संकायांतर्गत भूगोल विषय के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन (संशोधन) निम्नानुसार किया जाता है :

28.2 (एक) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य :  
कोई नहीं।

(दो) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे:

(1) डॉ. अजीत कुमार यादव  
प्राचार्य  
गुरुकुल कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय,  
पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.)

(2) डॉ. आर. के. जायसवाल  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग  
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य  
कोई नहीं।

(चार) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष, जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे :

(1) श्री अम्बिकेश स्वर्णकार  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग  
शासकीय महाविद्यालय, दुलदुला  
जिला-जशपुर (छ.ग.)

(2) डॉ. कुंतल किशोर  
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग  
शासकीय महाविद्यालय,  
बिभ्रामपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)



(पांच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे:

- (1) श्रीमती अरुणा कुजूर  
सहायक प्राध्यापक भूगोल  
होली क्रॉस वूमेन्स कॉलेज,  
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
- (2) डॉ. सेवन कुमार भारती  
सहायक प्राध्यापक भूगोल  
शासकीय महाविद्यालय,  
प्रेमनगर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

(छ:) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अधिकथित की गई अर्हतायें रखता हो, जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

बाद में प्रस्तावित किया जावेगा।

(सात) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा उस विषय या विषयों के समूह के मान्यता प्राप्त गवेषणा संस्थान, यदि कोई हो में से होगा :

बैठक के समय सहयोजित किये जावेंगे।

28.(3) कुलपति जी द्वारा डॉ. अजीत कुमार यादव, प्राचार्य, गुरुकुल कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) को उपधारा (2) के खण्ड (दो) के तहत अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्ययन बोर्ड की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से 03 वर्ष की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 907/अकादमिक/अ.म./भूगोल/2019  
प्रतिलिपि -

अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/20

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
2. समस्त संबंधित सदस्यगण।
3. संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय
5. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण विभाग, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
6. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा/गोपनीय/वित्त, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
7. जनसम्पर्क अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. कार्यालयीन नस्ती।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)